छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0,
880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय, रायपुर
खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 का शेष एवं 2012–13 का वर्गीकृत
धान विक्रय हेतु विक्रय निविदा

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, मुंगेली एवं जांजगीर जिले के विभिन्न संग्रहण केंद्रों में वर्ष 2011–12 का शेष एवं 2012–13 का बिलासपुर, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद रायपुर के विभिन्न संग्रहण केंद्रों में संग्रहित वर्गीकृत धान का विक्रय (मानव उपयोग हेतु नहीं) हेतु इच्छुक पंजीकृत अनुज्ञप्ति धारी पशुआहार/कुक्कुट आहार निर्माता फर्मो आदि से "जहां है जैसा है" आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा विपणन संघ की वेबसाईट WWW.cgmarkfed.in में उपलब्ध है, जहां देखी जा सकती है।

1	निविदाकार का नाम एवं पता, दूरभाष, नंबर/मोबाईल नंबर	श्री मेसर्स..... ....
2	पंजीकृत अनुज्ञप्ति धारी फर्म, पशुआहार/कुक्कुट आहार निर्माता फर्म का अनुज्ञप्ति क्रमांक	.....
3	निविदा फार्म विक्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दि. ..... को कार्यालयीन समय तक
4	निविदा स्वीकार करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक एवं समय	दि. ..... को सायं 3.00 बजे तक
5	सील बंद निविदा खोलने की तारीख एवं समय	दि. ..... को सायं 4.00 बजे
6	निविदा खोलने का स्थान	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, 880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय रायपुर

टिप्पणीः–

1. निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को यदि अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अवकाश के पश्चात अगले कार्यकारी दिवस को उपरोक्त निर्धारित समय पर ही खोली जायेगी।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बतायें स्वीकृत/ आंषिक स्वीकृति या अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक, विपणन संघ को होगा।

महाप्रबंधक (विप.)

निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण

निविदा में नियमानुसार परिशिष्ट है, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज का भाग माने जावेंगे।

1. परिशिष्ट क्रमांक 01 – इस परिशिष्ट पर वर्गीकृत धान(मानव उपयोग हेतु नहीं) निविदा संबंधी प्रकिया एवं निविदा के नियम एवं शर्ते अंकित है।
2. परिशिष्ट क्रमांक 02 – निविदाकार द्वारा प्रस्तुत घोषण पत्र।
3. परिशिष्ट क्रमांक 03 – इस परिशिष्ट पर धान विक्रय संबंधी अनुबंध/सौदा पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकारों द्वारा रूपयें 50/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जावेगा।
4. परिशिष्ट क्रमांक 04 – इस परिशिष्ट पर उल्लेखित प्रारूप में क्रेता द्वारा रूपयें 50/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अलग से घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि विपणन संघ द्वारा जिस प्रयोजन से डेमेज धान का विक्रय किया जा रहा है, उसका उपयोग उसी अनुसार सुनिश्चित हो।
5. परिशिष्ट क्रमांक 05 – इस परिशिष्ट पर विक्रय किये जाने वाले वर्गीकृत धान की जिलेवार, संग्रहण केन्द्रवार मात्रा, वर्गीकरण आधार पर उनकी किस्म उल्लेखित किया गया है। इस परिशिष्ट में निर्धारित स्थान पर दर रूपयें प्रति क्विंटल अंको एवं शब्दों में निविदाकारों द्वारा भरी जावे।
6. परिशिष्ट क्रमांक 06 – सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप।

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें, ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके एवं भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो।

महाप्रबंधक

परिशिष्ट (एक)

निविदा दस्तावेज

वर्गीकृत धान की निविदा संबंधी प्रकिया, नियम शर्ते

1. ई– निविदा भरना–

इच्छुक पंजीकृत अनुज्ञप्ति धारी फर्म, पशुआहार/कुक्कुट आहार निर्माता फर्म द्वारा निविदा विपणन संघ की वेब साईट www.cgmarkfed .in में उपलब्ध है। निविदा में संलग्न परिशिष्ट क्रमांक–01 से 04 एवं 06 तक तकनीकी बीड की निविदा एक लिफाफे में तथा परिषिष्ट 05 वित्तीय बीड की निविदा द्वितीय लिफाफे में बंदकर दोनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर सीलबंद कर निविदा पेटी में निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व डालना अनिवार्य होगा। तकनीकी बीड वाले लिफाफे के उपर तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड वाले लिफाफे के उपर वित्तीय बीड लिखना अनिवार्य होगा, ताकि निविदा खोलते समय पहले तकनीकी बीड खोला जा सके। उक्त दोनों लिफाफे एक बडे लिफाफे में सील बंद कर लिफाफे के उपर खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 का शेष एवं 2012–13 वर्गीकृत धान की निविदा का दिनांक तथा फर्म का नाम पता स्पष्ट शब्दों में लिखा जावे।

2- अर्नेस्ट मनी–

वर्गीकृत धान क्रय करने हेतु प्रस्तावित मात्रा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम प्रति क्विंटल दर के आधार पर अमानत राशि का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी की राशि अधिसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा स्वीकार की जावेगी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. के नाम रायपुर में देय होगी।

एफ–1	35.00/–प्रति क्विंटल
एफ–2	28.00/–प्रति क्विंटल
एफ–3	23.00/–प्रति क्विंटल
इंडस्ट्रीज यूज	7.00/–प्रति क्विंटल
मेन्यौर	17.00/–प्रति क्विंटल

3- निविदा में हस्ताक्षर–

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट के साथ एक चार्ट लगाना अनिवार्य होगा जिसमें जिले का नाम, संग्रहण केन्द्र का नाम, धान की किस्म, वगीकृत धान की मात्रा एवं उपरोक्त तालिका के आधार पर जमा अमानत राषि का विवरण हो।

निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसे कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में पावर आफ एटार्नी के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर भागीदारी फर्म/कंपनी/समिति द्वारा पावर आफ एटार्नी जारी किया जाता है तो पावर आफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षरमय सील होना अनिवार्य है। निविदा दस्तावेज मूल प्रति में ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

4- निविदा जमा करने की विधि–

4.1 निविदाकार निर्धारित निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट–05 जिसमे किस्मवार वर्गीकरण अनुसार संग्रहण केंद्रवार धान की मात्रा क्विंटल में उल्लेखित है, के सम्मुख निर्धारित कालम में अपनी दरें प्रस्तुत करेंगे। उल्लेख की गई दर तथा संबंधित दस्तावेजों एवं निर्धारित अर्नेस्ट मनी के साथ दि. ..... को सायं 3.00 निविदा विपणन संघ के मुख्यालय 880, सिविल–लाईन्स, रायपुर में प्रस्तुत कर सकेंगे।

4.2 फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से अथवा खुले (बिना सीलबंद लिफाफा) में प्राप्त निविदाएं विचार नहीं होगा।

4.3 निविदा साफ एवं स्पष्ट रूप से भरी जावे। निविदा दस्तावेज प्रपत्र मे किसी तरह की ओवर राईटिंग मान्य नहीं किया जावेगा। कांट–छांट होने की स्थिति में उस पर निविदाकार का पूर्ण हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

4.4 निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। निविदाकार को निविदा के साथ प्राप्त धान को राज्य से बाहर या राज्य के अन्य स्थानों में ले जाने के लिए आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इनमें विभाग/संस्था किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

5- धान की राशि जमा करने तथा डिलीवरी लेने संबंधी–

5.1 सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने के 07 दिवस के अंदर अनुबंध के समय धान के विक्रित संपूर्ण मात्रा के मूल्य का 10 प्रतिशत प्रतिभूति रशि जमा कर डिलीवरी प्राप्त करने हेतु अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

5.2 अनुबंधित मात्रा को निविदाकार को अधिकतम एक माह की अवधि में उठाव करना अनिवार्य होगा।

5.3 अनुबंधित मात्रा के आधार पर उठाव किये जाने वाले धान की राषि को उठाव करने के पूर्व अग्रिम रूप से जिला कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

5.4 यदि अनुबंध में दर्शित समयावधि के अंदर डिलीवरी नहीं ली जाती है तो जमा अर्नेस्ट मनी/प्रतिभूति राशि विपणन संघ के हित में राजसात की जावेगी।

5.5 जमा अर्नेस्ट मनी/प्रतिभूति राशि का पूर्ण समायोजन केता को अंतिम डिलीवरी के साथ होगा।

6- निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने संबंधी अधिकार–

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के धान स्कंध हेतु प्राप्त निविदा के संबंध में संघ के प्रबंध संचालक के पास यह अधिकार पूर्णतः सुरक्षित है कि प्राप्त किसी भी निविदा या समस्त निविदा को बिना किसी कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेंगे।

KMS 2011-12 का शेष एवं 2012.13 के वर्गीकृत धान निविदा हेतु परिभाषाएं

1. विपणन संघ से तात्पर्य छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.से है।
2. निराकरण योग्य धान से तात्पर्य खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के शेष (मानव उपयोग हेतु नहीं है) डेमेज धान से है।
3. निविदा दस्तावेज से तात्पर्य डेमेज धान विक्रय हेतु जारी निविदा सूचना के संदर्भ में निविदकार द्वारा कार्यालय से विधिवत क्रय किया गया दस्तावेज। (मूल प्रति)
4. संविदा से तात्पर्य है कि निविदा आमंत्रित करना, निविदा प्रक्रिया तथा निविदा में उल्लेखित निर्देश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेड्युल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्ते सम्मिलित है।
5. प्रबंध संचालक का तात्पर्य यह होगा कि छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक से है।
6. केता शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे पशु आहार निर्माता फर्म जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।
7. दर शब्द से तात्पर्य यह होगा कि दर जो निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जिसे विपणन संघ द्वारा अंतरिम या अंतिम रूप से मान्य किया गया है।
8. अनुबंध शब्द का अर्थ यह होगा निविदाकृत धान के क्रय हेतु केता एवं यथा स्थिति विपणन संघ के बीच संविदा करार।
9. डेमेज फीड–1, फीड–2 एवं फीड–3 औद्योगिक उपयोग (Industrial Use) का अर्थ पशुआहार में उपयोग हेतु वर्गीकृत है तथा मेन्योर, मेन्योर में उपयोग हेतु है। डेमेज धान मानव उपयोग हेतु कदापि नहीं है।

निविदा की शर्तें एवं नियम

1. विक्रय किया जाने वाला डेमेज धान का विक्रय ''जहां है जैसा है'' के आधार पर किया जावेगा। विक्रित धान खुले फड़ से मय बारदाना प्रति क्विंटल की दर से विक्रय किया जावेगा। वाणिज्यिक कर या अन्य किसी भी प्रकार का कर निविदाकर द्वारा अतिरिक्त देय होगा।
2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा दिनांक से 180 दिवस तक वैध रहेगी।
3. निविदाकार द्वारा संग्रहण केंद्र में संग्रहित प्रजातिवार, ग्रेडेशनवार मात्रा की दरें एक साथ भरी जावे (उदाहरणस्वरूप किसी केंद्र में मोटे प्रजाति का फीड–1 ग्रेड का संग्रहित समस्त स्कंध की दरें एक साथ भरी जावें)।
4. निविदाकार प्रस्तावित धान के किस्म एवं मात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी विपणन संघ के मुख्यालय एवं संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
5. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पहले निविदाकर्ता स्टाक का भली–भांति अवलोकन/परीक्षण कर लें तथा दरें भरने से पूर्व इसकी मात्रा एवं क्वालिटी के बारें में अपनी संतुष्टि कर लेवें। निविदा भरने या खुलने उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा।
6. निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्राएं कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर है, इसकी मात्राओं में घट बढ़ हो सकती है।
7. धान का विकय्र शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी स्कंध विक्रय रोका जा सकता है। इसके अगर केता को किसी प्रकार की हानि होती है तो इसकी जवाबदारी विपणन संघ की नहीं होगी।
8. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार विपणन संघ के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। निविदाकार/केता की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा में प्राप्त सामग्री को रखने और आगे भी कय/विक्रय/परिवहन करने या अन्य किसी भी प्रकिया में लाने के लिए अपने पास समस्त लाईसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करेंगे। इसमें संघ द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जावेगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी केता की रहेगी।
9. अर्नेस्ट मनी निविदा के साथ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के नाम से रायपुर में देय अधिसूचित बैंक से प्राप्त ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट संलग्न नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. निविदा में उचित दरें नहीं पाये जाने पर संघ को यह अधिकार होगा कि प्रथम उच्चतम दर दाता से निगोशियेशन कर दरें बढ़ाने का प्रयास कर सकेगी। निगोशियेशन के पश्चात प्राप्त उच्चतम दर दाता के द्वारा अनुबंध निष्पादन होने तक द्वितीय उच्चतम दर दाता की अर्नेस्ट मनी की राशि संबंधित संस्था के पास जमा रहेगी।
11. निविदाकार की निविदाएं स्वीकृत होने पर प्रथम निविदाकार की अर्नेस्ट मनी, अनुबंध में दर्शित मात्रा की अंतिम डिलीवरी तक विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगी। अगर निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में स्टॉक नहीं उठाया जाता है तो यह राशि राजसात योग्य होगी। ऐसे निविदाकार जिनकी निविदायें स्वीकृत नहीं हुई उनकी अर्नेस्ट मनी 45

दिवस के अंदर चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से वापस की जावेगी। अर्नेस्ट मनी की वापसी नगद में नहीं होगी और अर्नेस्ट मनी पर जमा अवधि के दौरान कोई ब्याज देय नहीं होगा।

12. निविदाकार की दर स्वीकृत होने पर निविदाकार स्वीकृत मात्रा के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि संबंधित संस्था के पास 07 दिवस के अंदर जमा करेगा। क्रेता को विपणन संघ के साथ निर्धारित अनुबंध प्रारूप में 50/–रूपयें के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। अनुबंध शर्ते, निविदा की शर्तो का एक अंग होगा। जमा अर्नेस्ट मनी एवं सिक्यूरिटी की राशि क्रेता के संपूर्ण स्कंध उठाने पर अंतिम डिलीवरी के समय समायोजन किया जावेगा। क्रेता के द्वारा निविदा शर्तो का किसी भी समय उल्लंघन करने पर या उसे स्टॉक की संपूर्ण डिलीवरी न लेने पर जमा अर्नेस्ट मनी एवं सिक्यूरिटी की राशि विपणन संघ द्वारा राजसात की जा सकती है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
13. जमा अर्नेस्ट मनी एवं सिक्यूरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
14. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्त/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध मानी जावेगी।
15. डेमेज धान का विक्रय अनुज्ञप्तिधारी पशुआहार/कुक्कुट आहार निर्माता को ही किया जावेगा।
16. निविदाकार को निविदा के साथ पशुआहार अथवा कुक्कुट आहार निर्माता होने का जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाईट में डाले गये है, इच्छुक निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र को वेबसाईट से डाउनलोड कर डॉक के माध्यम से निविदा जमा कर सकेगे, किंतु वेबसाईट से प्राप्त निविदा के लिये निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित मूल्य का डिमांड डॉफ्ट पृथक से संलग्न करने पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
18. निविदाकर्ता द्वारा दर शब्दों एवं अंकों में भरे जावेंगे। यदि उक्त दोंनो दरों में अंतर है तो अधिक दर वाले को ही मान्य किया जावेगा।
19. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेषानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (**Integrity Pact)** जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (**Integrity Pact)** संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार की जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (**Integrity Pact)** का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिषिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (**Integrity Pact)** छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

भुगतान एवं डिलीवरी प्रकिया

1. क्रेता को धान की कीमत स्वीकृति दर से ग्रास वजन बारदाना सहित के आधार पर भुगतान करना होगा। स्वीकृत दर के अलावा किसी प्रकार का अन्य कर भार, टैक्स अतिरिक्त उपयोग किये गये बारदानों की कीमत इत्यादि यदि देय हो तो क्रेता को अलग से भुगतान करना होगा, जिसके लिए विपणन संघ जिम्मेदार नहीं होगा।
2. शासन द्वारा शासित की गई वाणिज्यिक कर या अन्य कर/लेव्ही की राशि क्रेता के साथ अनुबंध करते समय क्रेता को पृथक से जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. क्रेता को स्टॉक जहॉ है, जैसा है की स्थिति के आधार पर उठाना होगा।
4. क्रेता को स्टॉक के उठाव, डिलीवरी आर्डर में दिये गये समय के अंदर करना होगा। स्टॉक की डिलीवरी एक सिरे से दी जावेगी। क्रेता को स्वयं के हमाली खर्चे से स्टॉक को उठाया जाकर स्वयं के परिवहन खर्च से लेकर जाना होगा। इसमें विपणन संघ कोई खर्च वहन नहीं करेगा। अनुबंध में दर्शित मात्रा की शत्–प्रतिशत् डिलीवरी लेने तक हमाल, ट्रक/बैलगाड़ी आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था करने की जवाबदारी क्रेता की होगी।
5. स्टॉक की डिलीवरी लेने हेतु क्रेता अगर स्वयं नहीं आता है तो उसके अधिकृत प्रतिनिधि को स्टांप पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कराकर अधिकृत करना होगा तथा ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उठाये गये स्टॉक को क्रेता के द्वारा उठाया जाना माना जाएगा। क्रेता को स्टेंडर्ड बेग की अवस्था में 10 प्रतिशत् तौलकर डिलीवरी दी जाएगी तथा ऐसे प्राप्त स्कंध को 10 प्रतिशत् के आधार पर शत्–प्रतिशत् वजन माना जाएगा। यदि स्टेंडर्ड बेग के बोरे न हो तो शत्–प्रतिशत् बोरे तौलकर डिलीवरी दी जाएगी, परंतु तौल का खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा। जहां पर तौल की जो भी सुविधा उपलब्ध होगी यथा बीम स्केल (हाथकॉटा) या धर्मकॉटा द्वारा धान तौलकर डिलीवरी दी जा सकेगी।
6. क्रेता द्वारा निर्धारित समयावधि में स्कंध न उठाने पर विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि क्रेता की जमा अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि विपणन संघ के हित में राजसात किया जाकर नहीं उठाये गये शेष स्कंध को पुनः अन्य किसी क्रेता को विक्रय करें।
7. स्कंध की डिलीवरी केवल कार्यशील दिवसों में एवं कार्यालयीन समय में दी जाएगी, इस हेतु किसी अतिरिक्त समय का क्लेम नहीं होगा।
8. निविदा दस्तावेज/विक्रय अनुबंध एवं स्कंध उठाने तक किसी प्रकार के उत्पन्न हुए विवाद का न्यायाधिकरण क्षेत्र रायपुर न्यायालय के अंतर्गत होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट (दो)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
रायपुर ।

महोदय,

हम निविदा दस्तावेज में उल्लेखित **KMS 2011-12** एवं **2012-13** के वर्गीकृत धान को क्रय करने हेतु निविदा दर प्रति क्विंटल आधार पर परिशिष्ट के साथ में संलग्न विवरण पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि परिशिष्ट 05 में जिलेवार/केन्द्रवार/गोदामवार वर्गीकृत किस्म की मात्रा का समक्ष दिये गये कॉलम में अंको एवं शब्दों में भरी गई है।

हमने निविदा भरने से पूर्व संग्रहीत समस्त दस्तावेज/शर्तें नियमों का भली–भॉति अवलोकन कर लिया है तथा समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर किया है।

हमने निविदा हेतु निर्धारित अमानत राषि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर.....
.....अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया है, रूपये.....डी.डी.नं.....
....दिनांक.....निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न किया गया है।

हमारा विवरण निम्नानुसार है :–

1. फर्म/समिति/कंपनी का नाम.....
2. स्वामी/भागीदारों का नाम.....
3. फर्म/कंपनी के संचालक/समिति सदस्यों/
   संचालक, ट्रस्टी के नाम एवं फोन नम्बर .....
   .....
   .....

घोषणा

मै/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि इस निविदा प्रपत्र में हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पूर्ण रूप से सही है तथा किसी भी तथ्यों को हमने नहीं छुपाया है। निविदा खुलने के उपरांत दस्तावेजों में अगर कोई त्रुटियां पाई जाती है तो विपणन संघ द्वारा हमारे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जावेगी वह मान्य होगी।

1. मै/हम यह घोषणा करता हूँ/करते है कि निविदा में उल्लेखित सभी शर्ते हमें मान्य है।
2. निविदा में मै/हम उपस्थित नहीं होने के कारण हमारी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री .....अथवा श्री .....को पावर ऑफ एटार्नी सहित निविदा भरने हेतु अधिकृत करते है। इस हेतु पावर ऑफ एटार्नी/अधिकार पत्र संलग्न है।

संलग्न :– प्रस्तुत की जा रही दरों संबंधी पत्रक।

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर निविदाकार के हस्ताक्षर

(मय सील सहित)

परिशिष्ट (तीन)

(पचास रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा)

:: अनुबंध ::

कार्यालय का सील

स्थान.....दिनांक.....

आज दिनांक.....को जिला विपणन अधिकारी, जिला..... छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (विक्रेता) और मेसर्स.....(क्रेता) के बीच **KMS 2011-12** एवं **2012-13** के वर्गीकृत धान बेचने का विक्रय हुआ, जिसका विवरण और शर्तें निम्नानुसार है :–

1. क्रेता का नाम और पूरा पता .....

   .....

2. फोन नम्बर .....

3. पंजीकृत अनुज्ञप्ति धारी फर्म, पशुआहार/कुक्कुट आहार निर्माता फर्म का अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

4. क्रय किये गये स्कंध की मात्रा .....

   ....

5. जिस संग्रहण केन्द्र से डिलीवरी दी जानी है, उसका विवरण–.....

6. क्रय किये गये धान की मात्रा (क्विंटल में).....

   (केन्द्र पर स्कंध की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, क्रेता को सम्पूर्ण स्कंध की डिलीवरी लेना अनिवार्य है)

7. विक्रय दरें प्रति (क्विंटल में) मय बारदाने एक्स गोदाम, ग्रास वेट, जैसा है, जहॉ है के आधार पर– .....

8. कुल अनुमानित मूल्य .....

9. क्रेता के द्वारा जमा राशि का विवरण.....

10. अमानत राषि (निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है) .....

    सिक्यूरिटी की राशि दस प्रतिशत .....

    योग :– .....

11. शेष अनुमानित राशि (वसूली योग्य) .....

12. स्कंध की पूर्ण डिलीवरी लेने की अंतिम दिनांक.....है।

13. स्कंध जहॉ है, जैसा है के आधार पर विक्रय किया गया है, अतः क्वालिटी के बारे में कोई भी विवाद ग्राह्य नहीं किया जायेगा।

14. भुगतान तौलाई आदि की शर्ते :–

(अ) अनुबंध के कॉलम नम्बर 06 में दर्शायी गई मात्रा की इस सौदे पत्रक में दर्शित अंतिम दिनांक ..... तक विक्रेता को पूरी मात्रा में डिलीवरी लेना होगा।

(ब) डिलीवरी की अंतिम तिथि के अंदर स्कंध की डिलीवरी न लेने पर सौदा निरस्त किया जावेगा तथा अर्नेस्ट मनी मय सिक्यूरटी राशि के विपणन संघ के हित में राजसात की जा सकेगी।

(स) क्रेता को पूरी मात्रा की धन राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा विपणन संघ कार्यालय में अधिकतम तीन किस्तों में जमा कने की सुविधा दी जायेगी।

(द) चेक अथवा नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जावेगा। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।

(ई) सिक्यूरटी की धन राशि सौदे के अनुसार कुल मात्रा के मूल्य की दस प्रतिशत (सिक्यूरटी के रूप में) जमा की जायेगी। सिक्यूरटी राशि एवं अर्नेस्ट मनी का समायोजन अंतिम डिलीवरी के समय विवाद न होने की स्थिति पर किया जायेगा।

(फ) सौदा पत्रक के आधार पर कण्डिका 12 में दर्शायी गई अंतिम तिथि तक धन राशि जमा कर संबंधित वस्तु, अनुबंधित मात्रा में पूरी–पूरी उठानी होगी, अन्यथा सौदा निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा, जमानत की धन राशि एवं अर्नेस्ट मनी राजसात कर ली जायेगी।

(च) स्कंध की डिलीवरी कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गोदाम एवं स्थान से ही शत–प्रतिशत् तौल करके बारदाने सहित दी जावेगी। वाहन में स्कंध लोड करा दिया जावेगा अर्थात स्कंध की शत्–प्रतिशत् तौल एवं लोडिंग का व्यय विपणन संघ वहन नहीं करेगा। स्टेक से माल एक सिरे से दिया जायेगा, छांट कर नहीं।

(छ) सिक्यूरटी की डिपाजिट धन राशि एवं अर्नेस्ट मनी पर कोई ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

(ज) यदि अनुबंधकर्ता और विपणन संघ के बीच इस सौदा पत्रक की किसी शर्त के बारे में अथवा इससे संबंधित किसी अन्य विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो आर्बीटेशन एक्ट के अंतर्गत प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर आर्बीटेटर होंगे तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(झ) यदि अनुबंधकर्ता/फर्म सौदा पत्रक में दी गई शर्तों के विरूद्ध कार्य करती है या समयावधि में डिलीवरी प्राप्त नहीं करती है तो अनुबंध टूट जाने के परिणामस्वरूप

विपणन संघ को क्रेता से हर्जाना एवं खर्चा वसूल करने का अधिकार होगा। यह राशि अमानत एवं प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त होगा।

(ट) अनुबंधित मात्रा बोरों की भरती के कारण कम या अधिक हो सकती है। क्रेता को पूरे स्कंध की डिलीवरी लेना अनिवार्य होगा।

(ठ) डेमेज धान का स्कंध ''जहॉ है जैसा है'' के आधार पर किया जायेगा। अतः कटे–फटे अनुपयोगी बोरी के बदले में विपणन संघ कोई बोरा नहीं दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में क्रेता को स्वयं के बोरे उपयोग में लाने होंगे, जिसका किसी भी तरह का भुगतान विपणन संघ द्वारा नहीं किया जायेगा।

(ड) डिलीवरी की अंतिम तिथि के बाद उठाव की अवधि बढ़ाने या न बढ़ाने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित है, किन्तु यदि डिलीवरी हेतु अवधि बढ़ाई गई तो बढाई गई अवधि के लिये ब्याज प्रचलित दर से एवं विपणन संघ द्वारा निर्धारित भंडारण शुल्क का भुगतान क्रेता द्वारा करने पर ही डिलीवरी दी जायेगी।

(त) विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र रायपुर तक ही सीमित रहेगा।

क्रेता के हस्ताक्षर नाम एवं पता सील सहित	जिला विपणन अधिकारी छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
1. गवाह.....	1.....
2. गवाह.....	2.....

प्रतिलिपिः–

1. क्रेता मेसर्स.....

2. जिला विपणन अधिकारी, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या..... आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ट (चार)

(पचास रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा)

शपथ पत्र

मैं/हम.....यह निष्ठापूर्वक कथन करता हूँ/करते है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा पशु आहार उत्पादन हेतु डेमेज धान का विक्रय जिस प्रयोजन अथवा पशु आहार उत्पादन हेतु किया जा रहा है, उसका उपयोग हमारे द्वारा उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा। यदि हमारे द्वारा इस क्रय किये गये धान का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो राज्य शासन एवं विपणन संघ हमारे विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा। डेमेज धान के उल्लेखित उपयोग के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में उपयोग किये जाने से किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसके लिये मैं/हम जिम्मेदार/जवाबदार होंगे।

स्थान.....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

1.....

2.....

फोन नं. (कार्यालय).....

घर.....मोबाइल नं.....

.....